

प्रेषक,

सुरेन्द्र मोहन सहाय
अपर प्रधान न्यायाधीश/
परिवार न्यायालय
पीलीभीत।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा - श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश/
परिवार न्यायालय
पीलीभीत।

विषय - सी.एल. नं. 25/एडमिन (ए) के अनुपालन में क्रय की गयी अचल सम्पत्ति सूचना:-

1. अधिकारी का नाम -	सुरेन्द्र मोहन सहाय
2. पदनाम -	अपर प्रधान न्यायाधीश/ परिवार न्यायालय पीलीभीत।
3. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि -	05.01.2004
4. प्रार्थना का प्रकार -	वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रय की गयी अचल सम्पत्ति दिनांक 03.07.20 सम्पत्ति विवरण फ्लैट नं. टी 4 -701 गाडेन वे हाइट स्थित ग्राम Ghaila परगना एवं जिला लखनऊ ।
5. संबंधित क्रय की गयी सम्पत्ति का पूर्ण विवरण -	
१. कुल वेतन एवं कटौती के बाद प्राप्त वेतन -	कुल वेतन 1,74,038 रुपये प्रतिमाह एवं कटौती के बाद 1,42,638 रुपये प्रतिमाह
२. प्रश्नगत सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु क्या बैंक आदि किसी संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया। उसका विवरण एवं कितने किस्तों में यदि ऋण लिया गया है तो भुगतान करना है -	भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ से उक्त क्रय की गयी सम्पत्ति हेतु 40,00000 रुपये (चालीस लाख रुपये) गृह ऋण माह फरवरी 2020 में लिया गया है जिसका भुगतान कुल 120 किस्तों में प्रतिमाह 48,700 ई.एम.आई. की कटौती हो रही है।

३ क्रय की गयी अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण -	अचल सम्पत्ति टावर नं. टी 4 फ्लैट 701 गाडेन वे हाइट स्थित सीतापुर हरदाई लिंक मार्ग लखनऊ स्थित ग्राम Ghaila परगना एवं जिला लखनऊ एरिया 119 वर्गमीटर (1650 वर्ग फीट) 3 वी एच के फ्लैट
४. डीलर/विक्रेता का नाम पता -	मैसर्स शालीमार के. एस. एम. बी प्रोजेक्ट मुख्यालय छठी मंजिला टाइटेनियम शालीमार कारपोरेट पार्क विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ पंजीयन नं. 410/4 दिनांक 11.08.14
५ क्या विक्रेता नियमित एवं ख्याति प्राप्त व्यक्ति एवं संस्था है -	जी हॉ
६. क्या विक्रेता का संबंधित न्यायिक अधिकारी से कोई संबंध है या विक्रेता से संबंधित कोई मुकदमा संबंधित न्यायिक अधिकारी के यहाँ विचाराधीन है या निर्णीत किया है।	विक्रेता शालीमार के एस एम बी व उनके भागीदार से मेरा कोई संबंध नहीं है, न ही मेरे न्यायालय में उनका कोई वाद विचाराधीन है और न ही मैंने उनसे संबंधित किसी वाद में निर्णय पारित किया है।
७. संबंधित सम्पत्ति को क्रय हेतु विक्रय धनराशि के स्रोतों का विवरण	उक्त फ्लैट/सम्पत्ति 59,58,530/- (उनसठ लाख अठावन हजार पांच सौ तीस रुपये) प्रतिफल में दिनांक 03.07.20 को जरिये रजिस्ट्री क्रय की गयी जिस हेतु 40,00000 (चालीस लाख रुपये) भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मुख्य शाखा से ऋण खाता सं. 39093950954 के तहत प्राप्त किया गया। शेष प्रतिफल में 5,50,000/- रुपये अपने पी.पी.एफ. एकाउन्ट से स्थाई निकासी की गयी एवं वर्ष 2014 में वेतन मद से डेढ लाख, डेढ लाख व एक लाख कुल 4,00000/- (चार लाख रुपये) की एफ.डी. भारतीय स्टेट बैंक में की गयी थी, का पूर्ण परिपक्व भुगतान धनराशि 6,049,09/- रुपये प्राप्त किया गया। साथ ही दिनांक 24.01.19 को महिन्दा कोटक लो ड्यूरेशन में 8,00000- रुपये (आठ लाख रुपये) वेतन मद से जमा किये गये जिस पर 64,000 रुपये ब्याज सहित कुल 8,64,000/- रुपये (आठ लाख चौसठ हजार रुपये) दिनांक

	<p>17.01.2020 को प्राप्त हुये साथ ही भारतीय स्टेट बैंक मैच्युअल फंड व एच.डी.एफ.सी. मैच्युअल फंड में जनवरी 2017 से दिसम्बर 2019 तक आठ-आठ हजार रुपये वेतन मद से जमा किया गया। जिसका भुगतान दिनांक 06.02.2020 को मय ब्याज लाभ सहित 6,50,242/- (छः लाख पचास हजार दो सौ वयालीस रुपये) प्राप्त हुआ, भी क्रय की गयी सम्पत्ति के प्रतिफल भुगतान में सम्मिलित है। शेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 के वेतन मद व ब्याज से भुगतान किया गया।</p>
--	--

संलग्नक - 1. वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 के बाबत भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित पासबुक की छायाप्रति।

2. दस्तावेज बैनामा की छायाप्रति।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेशित।

दिनांक

भवदीय

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
अपर प्रधान न्यायाधीश/
परिवार न्यायालय
पीलीभीत।